भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 754

जिसका उत्तर गुरुवार, 05 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

कुटुंब न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा

754 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुटुंब न्यायालयों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अवसंरचना, जिसमें समर्पित वीसी कक्ष, सुरक्षित प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षित कर्मचारी और कनेक्टिविटी शामिल हैं, की उपलब्धता और पर्याप्तता का आकलन किया है ;

(ख) कार्यात्मक वीसी सुविधाओं से सुसज्जित कुटुंब न्यायालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति और सुनवाई, मध्यस्थता और परामर्श के लिए उनके उपयोग की बारंबारता क्या है ;

(ग) क्या सरकार यह मानती है कि वीसी अवसंरचना व्यक्तिगत रूप से कुटुंब न्यायालयों की कार्यवाही के बोझिल स्वरूप को कम करने में सहायक होगी ; और

(घ) कुटुंब न्यायालयों में वर्चुअल और हाइब्रिड सुनवाई के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वीसी अवसंरचना, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने और एकसमान दिशानिर्देश जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को उनके संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श कर कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान करता है, ताकि सुलह को बढ़ावा दिया जा सके और विवाह तथा पारिवारिक मामले से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जा सके तथा उससे संबंधित विषयों का समाधान किया जा सके । धारा 3(1)(क) के अधीन यह अनिवार्य है कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें प्रत्येक ऐसे नगर अथवा कस्बे में कुटुंब न्यायालय स्थापित करें जहाँ जनसंख्या दस लाख से अधिक हो ।

अन्य क्षेत्रों में भी यदि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें आवश्यक समझें तो कुटुंब न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं।

सभी न्यायालयों सहित कुटुंब न्यायालयों में डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार का विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ समन्वय कर ई-न्यायालय परियोजना लागू कर रहा है। इस परियोजना के तृतीय चरण (2023-2027) के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों (न्यायालय, जेल और अस्पताल) में उपलब्ध दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) अवसंरचना को उन्नयन करने हेतु ₹228.48 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। तथापि, कुटुंब न्यायालयों में सुनवाई, मध्यकता और परामर्श हेतु दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) सुविधाओं का उपयोग संबंधित उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन न्यायिक विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा।

देशभर में 3,240 न्यायालय परिसर और 1,272 जेलों में दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) सुविधाएँ सक्षम की गई हैं। 31.12.2025 तक कुल 3.93 करोड़ (जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2,95,33,143 और उच्च न्यायालयों में 97,89,552) मामले की सुनवाई दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से की गई है। उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में *दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)* के माध्यम से (आभासी सुनवाई) में निपटाए गए मामलों की संख्या **उपाबंध-1** पर उपलब्ध है। इन आँकड़ों में कुटुंब न्यायालयों में हुई सुनवाई भी शामिल है। तथापि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुटुंब न्यायालयों में दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) सुविधाओं के उपयोग का पृथक आँकड़ा संधारित नहीं किया जाता।

'न्यायालयों हेतु दृश्य दूरसंलाप' (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के मॉडल नियम' जिन्हें भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुमोदित किया है, सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2024 में अंतर प्रचालित दांडिक न्याय प्रणाली (आई सी जे एस) के अंतर्गत न्याय श्रुति ऐप प्रारंभ किया गया है, जिससे अभियुक्त व्यक्ति, गवाह, पुलिस अधिकारी, अभियोजक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ, कैदी आदि की आभासी हाजिरी और गवाही दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से संभव हो सके। इससे समय और संसाधन की बचत होती है और मामलों का शीघ्र निपटान होता है। न्याय श्रुति को अंतर प्रचालित दांडिक न्याय प्रणाली (आई सी जे एस) के अन्य स्तंभों के साथ प्रभावी रूप से लागू और एकीकृत करने हेतु 20 उच्च न्यायालयों ने पहले ही न्याय श्रुति नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

आभासी सुनवाई न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) का उपयोग कर वकील और वादी किसी भी स्थान से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, जिससे सशरीर हाजिरी का बोझ कम होता है, समय और धन की बचत होती है तथा वंचित वादी और कार्यरत पेशेवरों को लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त, वकील अल्प सूचना पर विभिन्न स्थानों पर सुनवाई में शामिल हो सकते हैं और गवाह सुरक्षित स्थानों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

****

उपाबंध - 1

कुटुंब न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 754 जिसका उत्तर तारीख 05.02.2026 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में दृश्य दूरसंलाप (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) द्वारा आभासी सुनवाई के मामलों की संख्या :

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	जिला न्यायालय	सकल योग
1	इलाहाबाद	249060	6673818	6922878
2	आंध्र प्रदेश	421307	1457401	1878708
3	बम्बई	94493	310408	404901
4	कलकत्ता	181591	185189	366780
5	छत्तीसगढ़	105175	459698	564873
6	दिल्ली	322201	7503131	7825332
7	गुवाहाटी – अरुणाचल प्रदेश	3574	8779	12353
8	गुवाहाटी – असम	267767	547962	815729
9	गुवाहाटी – मिज़ोरम	4294	13268	17562
10	गुवाहाटी – नागालैंड	1477	1278	2755
11	गुजरात	420087	234667	654754
12	हिमाचल प्रदेश	186350	202660	389010
13	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	265337	598259	863596
14	झारखंड	225235	745304	970539
15	कर्नाटक	1278460	192285	1470745
16	केरल	280384	693555	973939
17	मध्य प्रदेश	697374	1172912	1870286
18	मद्रास	1531620	479195	2010815
19	मणिपुर	55160	18811	73971
20	मेघालय	6930	77483	84413
21	ओड़िशा	359593	366450	726043
22	पटना	278212	3275264	3553476
23	पंजाब और हरियाणा	653089	3734523	4387612
24	राजस्थान	254597	266506	521103
25	सिक्किम	926	17890	18816
26	तेलंगाना	1531472	201818	1733290
27	त्रिपुरा	22535	42737	65272
28	उत्तराखंड	91252	51892	143144
	योग	**9789552**	**29533143**	**39322695**

****